

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2006/श्रावण 9, 1928

No. 341]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2006/SRAVANA 9, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 449(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 259(अ) शुद्धिपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2006 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (संशोधन)] नियमावली, 2005 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (दूसरा संशोधन)] नियमावली, 2005 में दिन, माह और वर्ष "1 अगस्त, 2006", के स्थान पर "2 अक्तृबर, 2006" प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी~16012/1/2005~पीएच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st July, 2006

G.S.R. 449(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. GSR 259(E) Corrigendum dated 28th April, 2006 to the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment)] Rules, 2005 and the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Second Amendment)] Rules, 2005, published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year "1st day of August, 2006", the day, month and year "2nd day of October, 2006" may be substituted.

[F. No. P-16012/1/2005-PH] BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੰ. 463] No. 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 2006/आश्विन 06, 1928

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2006/ASVINA 06, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 599(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) शुद्धि-पत्र. दिनांक 31 जुलाई, 2006 में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (संशोधन)] नियमावली, 2005 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (दूसरा संशोधन)] नियमावली, 2005 में दिन, माह और वर्ष ''2 अक्टूबर, 2006'', के स्थान पर'' 2 नवम्बर, 2006'' प्रतिस्थापित किया जाए ।

[फा. सं. पी.-16012/1/2005-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th September, 2006

G.S.R. 599(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. GSR 449 (E) Corrigendum dated 31st July, 2006 to the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment)] Rules, 2005 and the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Pistribution) (Second Amendment)] Rules, 2005, published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year "2nd day of October 2006" the day, month and Year "2nd day of November 2006" may be substituted.

[F. No. P.-16012/1/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.